

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री अशोक कुमार, आर ए एस
:- 25/2022

शीर्षक

1. मूलचन्द पुत्र श्री गुल्लाराम जाति माली निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.)

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र गुल्ला
2. कालूराम उर्फ बनवारी पुत्र गुल्लाराम
3. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम
4. मोहन पुत्र गुल्लाराम



समस्त व्यस्क जाति माली निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

5. विमला पुत्री गुल्ला पत्नी श्री नानगराम निवास साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.) हाल निवासी सिरोही तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
6. केसर पुत्री गुल्ला पत्नी श्री सुण्डाराम निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.) हाल निवासी सिरोही तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 01/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 314/0.28, 587/0.01, 588/0.33, 589/0.10, 797/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 0.77 है0 भूमि वाकै ग्राम साईवाड तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 01 लगा0 06 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा व 1/6 हिस्सा नानगी देवी पत्नी गुल्ला के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है। नानगी देवी पत्नी गुल्ला फौत हो चुकी है जिसके वादी व प्रतिवादीगण विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। आराजीयात भूमि का वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है ओर वादी व प्रतिवादीगण ने मनबंट बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, ओर इसी अनुपात में राजस्व लगान अदा करते आ रहे है किन्तु उक्त भूमि जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है, का आज तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। यह कि प्रतिवादी सं0 01 लगायत 06 बाजौर धनी व लडाकु किस्म के खूंखार लठैत एवं संख्या बल वाले व्यक्ति है जिन्होंने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी सम्मिलित होने के कारण उनके मन में बदनियति आ गयी है और उन्होंने पूर्व में हुये मौखिक बंटवारे को मानने से भी इंकार कर दिया ओर आये दिन सीव डोल, सीमा विवाद करते रहते है तथा वादी के साथ

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

रास्ता व आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। दिनांक 21.11.2021 को वादी अपनी आराजी की देख रेख कर रहा था कि प्रतिवादी सं० 01 लगायत 06 एक राय होकर आये तथा वादी की सींव को फावडा लेकर काटने लगे तथा वादी की आराजी में जाने का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं० 01 लगायत 06 को टोका तो वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये तथा आपसी समझाईश से उक्त वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानिया धमकी देकर गये कि हम उक्त भूमि का बंटवारा नहीं होने देगे ओर ना ही पूर्व में हुये मौखिक बंटवारे को नहीं मानेंगे तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर से इंकारी हो गये। प्रतिवादी सं० 01 लगात 06 अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी का रास्ता अवरूद्ध कर दिया एवं काश्त हेतु खेत में नहीं जाने दिया। वादी को बेदखल कर कब्जा स्वयं कर लिया तो वादी को नाकबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा ओर अकथनीय व अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख०न० 314/0.28, 587/0.01, 588/0.33, 589/0.10, 797/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 0.77 है० भूमि वाकै ग्राम साईवाड तह. शाहपुरा जयपुर का विधिवत तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर किया जाकर राज लगान अलग अलग कायम किया जावे व राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रति०स०-01 लगायत 06 की ओर से एडवोकेट श्री रामगोपाल कुमावत उपस्थित आये। वकील प्रतिवादी ने जवाब वाद पत्र में राजस्व नियमावली मौका एवं काबिज अनुसार बंटवारा किया जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक भू०अ०/2023/ 2681 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये। वकील उभयपक्ष ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख०न० 314/0.28, 587/0.01, 588/0.33, 589/0.10, 797/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 0.77 है० भूमि वाकै ग्राम साईवाड तह. शाहपुरा



सुपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. पुरणमल पुत्र गुल्ला हि0 1/2, मूलचन्द पुत्र गुल्ला हि0 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 797 रकबा 0.05 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. पुरणमल पुत्र गुल्ला हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 314/1 रकबा 0.14 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. मूलचन्द पुत्र गुल्ला हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 314/2 रकबा 0.14 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
4. बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 588/3 रकबा 0.09 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
5. मोहन पुत्र गुल्ला हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार ख0 न0 588/1 रकबा 0.0950 है0, 589/1 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
6. सन्ती देवी पत्नी जगदीश, सुरेश चन्द पुत्र जगदीश, बजरंगलाल पुत्र जगदीश, सोहनलाल पुत्र जगदीश, अनोखी पुत्री जगदीश हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार ख0 न0 588/2 रकबा 0.1450 है0, 589/2 रकबा 0.0250 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
7. सन्ती देवी पत्नी जगदीश, सुरेश चन्द पुत्र जगदीश, बजरंगलाल पुत्र जगदीश, सोहनलाल पुत्र जगदीश, अनोखी पुत्री जगदीश हि0 1/7, पुरणमल पुत्र गुल्ला हि0 1/7, बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला हि0 1/7, मूलचन्द पुत्र गुल्ला हि0 1/7, मोहन पुत्र गुल्ला हि0 1/7, केसर देवी पुत्री गुल्ला हि0 1/7, विमला देवी पुत्री गुल्ला हि0 1/7 जाति माली सा0 देह खातेदार ख0 न0 587 रकबा 0.01 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



32/3
(अशोक कुमार) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री अशोक कुमार, आर ए एस
:- 25/2022

शीर्षक

1. मूलचन्द पुत्र श्री गुल्लाराम जाति माली निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.)

वादी

बनाम

- जगदीश पुत्र गुल्ला
 - कालूराम उर्फ बनवारी पुत्र गुल्लाराम
 - पूरणमल पुत्र गुल्लाराम
 - मोहन पुत्र गुल्लाराम
- समस्त व्यस्क जाति माली निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)
- विमला पुत्री गुल्ला पत्नी श्री नानगराम निवास साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.) हाल निवासी सिरौही तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
 - केसर पुत्री गुल्ला पत्नी श्री सुण्डाराम निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर,
(राज.) हाल निवासी सिरौही तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
 - राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 01/07/22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 314/0.28, 587/0.01, 588/0.33, 589/0.10, 797/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 0.77 है0 भूमि वाकै ग्राम साईवाड तह. शाहपुरा जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक-पृथक खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

- पूरणमल पुत्र गुल्ला हि0 1/2, मूलचन्द पुत्र गुल्ला हि0 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 797 रकबा 0.05 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
- पूरणमल पुत्र गुल्ला हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 314/1 रकबा 0.14 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
- मूलचन्द पुत्र गुल्ला हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 314/2 रकबा 0.14 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
- बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 588/3 रकबा 0.09 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
- मोहन पुत्र गुल्ला हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार ख0 न0 588/1 रकबा 0.0950 है0, 589/1 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
- सन्ती देवी पत्नी जगदीश, सुरेश चन्द पुत्र जगदीश, बजरंगलाल पुत्र जगदीश, सोहनलाल पुत्र जगदीश, अनोखी पुत्री जगदीश हि0 पूर्ण जाति माली सा0 देह

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रावीण)

खातेदार ख0 न0 588/2 रकबा 0.1450 है0, 589/2 रकबा 0.0250 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

7. सन्ती देवी पत्नी जगदीश, सुरेश चन्द पुत्र जगदीश, बजरंगलाल पुत्र जगदीश, सोहनलाल पुत्र जगदीश, अनोखी पुत्री जगदीश हि0 1/7, पुरणमल पुत्र गुल्ला हि0 1/7, बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला हि0 1/7, मूलचन्द पुत्र गुल्ला हि0 1/7, मोहन पुत्र गुल्ला हि0 1/7, केसर देवी पुत्री गुल्ला हि0 1/7, विमला देवी पुत्री गुल्ला हि0 1/7 जाति माली सा0 देह खातेदार ख0 न0 587 रकबा 0.01 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 01/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदोशी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपय पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील		जाड	